न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 18/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. मनोहरसिंह पिता तजसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मानसिंह पिता तजसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. हरिसिंह पिता दौलतसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. तख्तसिंह पिता दौलतसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 19/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. मनोहरसिंह पिता तेजसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. मानसिंह पिता तजसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. हरिसिंह पिता दौलतसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. तख्तसिंह पिता दौलतसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. रघुनाथसिंह पिता दौलतसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. विजयसिंह पिता दौलतसिंह जी राजपूत, निवासी राणावतों का गुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली दिनांक 01.06.2017 प्रकरण संख्या कमʼʼाः 145/2011 व 138/2011

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री खेमराज डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री संजय बोहरा अभिभाशक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय दिनांक

30–08–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एवं हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किये गये, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01–06–2017 से हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निशेधाज्ञा का आवेदन आंʼʼाक रूप से स्वीकार करते हुए मौजा राणावतों का गुड़ा की आराजी नंबर 3846/1 मी. रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नंबर 4690/3846 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा में विपक्षीगण अर्थात हाल अपीलान्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया तथा हाल अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निशेधाज्ञा के आवेदन को खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 01–07–2017 से रूष्ट होकर एक अपीलान्टगण द्वारा दो अलग–अलग अपीलें इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त दोनों अपीलों की विशय वस्तु

एवं पक्षकारान समान होने से दोनों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। दोनों ही प्रकरणों में अपीलान्टगण की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

वकील अपीलान्टगण द्वारा आदे''ा 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के साथ नकल जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 3, 4 विजयसिंह, रघुनाथसिंह, नकल इकरार अज हरिसिंह बहक मनोहरसिंह, मानसिंह दिनांक 20–09–2010 एवं नकल अस्थाई निशेधाज्ञा प्रकरण संख्या 138/2011 दिनांक 10–06–2011 प्रस्तुत कर न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

उक्त आवेदन का जवाब रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण ने केस लम्बा करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि उक्त दस्तावेजात उसके पास पहले से मौजूद थे। अपने कथन क समर्थन में न्यायिक नजीरें आर. बी.जे. (7) 2000 पेज 497 एवं आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 683 प्रस्तुत की।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी एवं प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्टगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने के करीब एक वर्श प''चात उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त दस्तावेजात अपीलान्टगण के पास पहले से ही मौजूद थे, किन्तु उनके द्वारा पहले उक्त दस्तावेजात क्यों प्रस्तुत नहीं किये गये इसका उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत उक्त न्यायिक नजीरों की रो''ानी में अब उक्त दस्तावेजात रेकार्ड पर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में नहीं लिये जा सकते। अतः अपीलान्टगण का आदे''ा 41 नियम 27 जा.दी. का आवेदन खारिज किया जाता है।

जहां तक अपील के गुणावगुण का प्र''न है, दोनों ही अपीलों में अपीलान्टगण द्वारा मुख्य आपत्ति यह ली कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर पत्रावली को बिना देखे जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है तथा कथित इकरारनामें का अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है। रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण के पक्ष में किये गये इकरारनामे से इंकार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को इकरार के आधार पर निर्णय अपीलान्टगण के पक्ष में करना चाहिए था। प्रतिवादीगण संख्या 5 से 9 द्वारा जो हकत्याग किया गया है, वह अपीलान्टगण के मुकाबले भून्य व बेअसर है। अतः दोनों अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने की प्रार्थना की तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 491 प्रस्तुत की।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज करने की प्रार्थना की तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. (13) 2006 पेज 21, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1398, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 403 प्रस्तुत की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षां की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पश्ट विवेचन किया है कि जिस वादग्रस्त भूमि की वसीयत अपीलान्टगण के पक्ष में दौलतसिंह जी द्वारा दिनांक 08—07—1991 को की गयी थी, उसे दौलतसिंह द्वारा दिनांक 05—02—1996 से पुनः निरस्त कर दिया गया है, जो उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी विवेचन किया है कि वर्तमान में रेस्पोन्डेन्टगण विवादित भूमि के खातेदार दर्ज हैं अतः उनके विरूद्ध अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवचन भी रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों आर.बी.जे. (13) 2006 पेज 21, आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1398, आर.आर.टी. 2011 (1) पेज 403 की रो''ानी में विधि सम्मत है। तद्नुसार हम

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हं।

उपरोक्तानुसार अपीलान्टगण की उक्त दोनों ही अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01–06–2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर